प्रबन्ध मण्डल की 24 वीं बैठक दिनांक 07-06-2014 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 24 वी बैठक दिनांक 07-06-2014 को प्रात: 11:00 बजे कुलपति सचिवालय में प्रो. चन्द्रकला पाडिया, कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. चन्द्रकला पाडिया	अध्यक्ष
2.	डॉ. विश्वनाथ (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित माननीय विधायक)	सदस्य
3.	डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित माननीय विधायक)	सदस्य
4.	डॉ. संजय नीलकंठराव लखेपाटिल (महामहिम राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
5.	डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
6.	प्रो. कैलाश डागा (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
7.	डॉ. भुवनेश गुप्ता (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निजी महाविद्यालय प्राचार्य)	सदस्य
8.	प्रो. एम.एम. सक्सेना (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
9.	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)	सदस्य
10.	श्री विश्राम मीणा	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदया द्वारा उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। विशेषकर प्रबन्ध मण्डल में नव-मनोनीत माननीय सदस्य डॉ. विश्वनाथ, माननीय विधायक खाजूवाला, डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी, माननीय विधायक बीकानेर पश्चिम, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति के प्रतिनिधि डॉ. संजय नीलकंठराव लखेपाटिल, डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, डॉ. कैलाश डागा, प्रोफेसर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, डॉ. भुवनेश गुप्ता, प्राचार्य, सूरतगढ (पी.जी.) महाविद्यालय, सूरतगढ का स्वागत किया। प्रबन्ध मण्डल के निवर्तमान माननीय सदस्यों प्रो. आर.एन. शर्मा, डॉ. के.एस. यादव, डॉ. विमलेन्दु तायल, श्री मनीराम द्वारा प्रबन्ध मण्डल में दिये गए सहयोग की सराहना की।

तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में प्रस्तुत बिन्दुओं पर विचार-विमर्श उपरान्त लिये गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है :-

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-24/2014/289
प्रबन्ध मण्डल की 23 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 23वीं बैठक दिनांक 30-01-2014 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका है। कार्यवाही विवरण की प्रति पुनः संलग्न कर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : कार्यवाही विवरण

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल की 23वी बैठक दिनांक 30-01-2014 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-24/2014/290
प्रबन्ध मण्डल की 23वीं बैठक दिनांक 30-01-2014 में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

प्रबन्ध मण्डल की 23वी बैठक में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - पालना प्रतिवेदन

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल की 23वीं बैठक दिनांक 30-01-2014 के निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन के दौरान निम्नानुसार बिन्दुवार विस्तृत विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गए:-

बिन्दु संख्या 276 (i) - वेतन संरक्षण संबंध बिन्दु:-

उक्त बिन्दु पर विचार-विमर्श के दौरान सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि राज्य सरकार से प्राप्त पत्र प.20(4)शिक्षा-4/2004 पार्ट दिनाक 06-03-2014 के अनुसार प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक में लिये गए निर्णय के अनुसार प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल का वेतन संरक्षित नहीं किया जा सका है। इस बीच कुलपति महोदया ने कहा कि स्वस्थ परम्परा के अनुसार बैठक में कोई बिन्दु यदि प्रत्यक्ष रूप से किसी सदस्य से संबंधित हो तो उसे उक्त बिन्दु पर विचार-विमर्श में भाग नही लेना चाहिए। चूंकि यह बिन्दु प्रत्यक्ष रूप से प्रो. एस.के. अग्रवाल से सम्बंधित है, इसलिए प्रो. अग्रवाल को इस बिन्दु पर विचार-विमर्श के दौरान सदन में उपस्थित नही रहना चाहिए जैसे पूर्व में इन्होंने इस स्वस्थ्य परम्परा का पालन किया है। प्रो. अग्रवाल ने कहा कि गत दो बैठकों में इस बिन्दु में चर्चा के दौरान वे उपस्थित रहे हैं। माननीय सदस्य प्रो. कैलाश डागा ने कहा कि प्रो. अग्रवाल इस विषय को अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते है, इसलिए इन्हे सदन में उपस्थित रहकर वस्तुस्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। प्रो. अग्रवाल ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह पूर्व में राज्य सरकार को प्रेषित पत्र में उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का उल्लेख नही किया गया इसलिए राज्य सरकार ने वेतन संरक्षण प्रकरण अस्वीकृत कर दिया। प्रो. अग्रवाल ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमो में डीम्ड विश्वविद्यालय का राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय के समकक्ष माना गया है तथा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर एवं राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में

डीम्ड विश्वविद्यालय से आये शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है। परन्तु प्रो. अग्रवाल द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य विश्वविद्यालयों से सम्बंधित प्रावधान या आदेश की कोई प्रति सदन के समक्ष प्रस्तुत नही की गई। माननीय सदस्य प्रो. कैलाश डागा एवं डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने प्रो. अग्रवाल के कथन से सहमति प्रकट करते हुए मत व्यक्त किया कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमानुसार डीम्ड विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय में आये शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन संरक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नही है एवं प्रबन्ध मण्डल स्तर पर ही निर्णय लिया जाना चाहिए।

वेतन संरक्षण के सम्बंध में माननीय सदस्यों के उपरोक्त मत से असहमति व्यक्त करते हुए सदस्य सचिव ने राज्य सरकार से प्राप्त पत्रों/दिशा-निर्देशों का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए वेतन संरक्षित नही करने का अनुरोध किया। सदस्य सचिव ने वित्त विभाग, राज. सरकार के परिपत्र क्रमांक F.11(7)Fd/(Rules)/2008 dated 12th september, 2008 के नियम 22 के परन्तुक की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर अवगत कराया कि " Provided that a Government servent who is already in regular service of the State Government, if appointed on another post as a probationer-trainee and has opted to draw pay in the pay scale of the previous post, on successful completion of probation period his pay will be fixed in the running pay band of the new post at the equal stage with reference to the pay of the previous post and grade pay." साथ ही सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि प्रो. अग्रवाल के वेतन संरक्षण के संबंध में प्रबन्ध मण्डल के निर्णय दिनांक 30-01-2014 से राज्य सरकार ने असहमति प्रेषित कर क्रियान्वयन नही करने हेतु निर्देशित किया है। अत: विश्वविद्यालय स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। प्रो. अग्रवाल चाहे तो राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते है एवं इनके प्रतिवेदन के सम्बंध में राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही कर ली जाएगी।

माननीय सदस्य प्रो. कैलाश डागा ने सदस्य सचिव की उक्त असहमति के सम्बंध में आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की भांति विश्वविद्यालय का कुलसचिव (सदस्य सचिव, प्रबन्ध मण्डल) प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत बिन्दुओं के सम्बन्ध में न तो अपनी असहमति दर्ज करा सकते है एवं न ही अपना मत प्रकट कर सकते है। प्रो. डागा ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 13 (3) का उल्लेख करते हुए कहा कि सदस्य सचिव अध्यक्ष महोदय के माध्यम से एजेण्डा बिन्दुओं के सम्बन्ध में केवल दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही प्रो. डागा ने प्रबन्ध मण्डल की पूर्व बैठक दिनांक 30-01-2014 के कार्यवाही विवरण मे तत्कालीन सदस्य सचिव द्वारा अंकित की गई 'असहमति' को भी विलोपित करने का भी सुझाव दिया। सदस्य सचिव ने मत व्यक्त किया कि राज्य सरकार के साथ हुए एम.ओ.यू. के अनुसार विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करना बाध्यकारी है। अत: राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करना एवं कार्यवाही विवरण में अंकित कराना आवश्यक है। माननीय सदस्यों प्रो. डागा एवं डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने पुन: कहा कि सदस्य सचिव असहमति प्रकट नही कर सकते है इसलिए इसे कार्यवाही विवरण में अंकित नही किया जावे तथा सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों को भी कार्यवाही विवरण में सम्मिलित नही किया जावे।

अतंत: प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रो0 सुरेश कुमार अग्रवाल एवं मानद विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय मे आये शिक्षक/कर्मचारियों को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या 276 (ii) - सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) को मोबाइल व्यय के पुनर्भरण के संबंध में :-

सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) को मोबाईल व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.20(4)शिक्षा-4/2004 पार्ट दिनांक 05-06-2014 के द्वारा प्राप्त आपत्ति के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों/अधिकारियों को मोबाईल/टेलीफोन/इन्टरनेट सुविधा देने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। अत: सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) को मोबाईल व्यय के पुनर्भरण के प्रकरण को भी समिति को सुपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त सुझाव पर उपस्थिति सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई।

बिन्दु संख्या 276 (iii) - विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों/शोध विशेषज्ञों के मानदेय निर्धारण के संबंध में:-

स्नातकोत्तर विभागों में शोध अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षकों की सेवाओं के लिए मानदेय निर्धारण के संबंध में विचार-विमर्श कर प्रबन्ध मण्डल द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प.1(3)शिक्षा-4/2010 दिनांक 26-05-2014 के अनुसार स्नातकोत्तर विभागों एवं शोध अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या 277 - विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 25 सेवानिवृत कार्मिकों की स्थिर पारिश्रमिक पर सेवा लेने के संबंध में :-

विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 25 सेवानिवृत कार्मिकों की स्थिर पारिश्रमिक पर सेवा लेने के संबंध में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.20(4)शिक्षा-4/2004 पार्ट दिनांक 05-06-2014 के द्वारा प्राप्त आपत्ति के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार से पदों की स्वीकृति हेतु पुन: अनुरोध किया जावे। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के दो सेवानिवृत कार्मिकों श्री अनूप सिंह एवं श्री शंकर लाल गहलोत की सेवाएं समाप्त कर वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या 284 - विभिन्न महाविद्यालयों की लम्बित अस्थाई सम्बद्धता अभिवृद्धि एवं आरोपित शास्ति के संबंध में :-

विभिन्न महाविद्यालयों की लम्बित अस्थाई सम्बद्धता अभिवृद्धि एवं आरोपित शास्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही एवं निजी महाविद्यालय संघ से प्राप्त ज्ञापन के संबंध में प्रबन्ध मण्डल व्यापक विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के दौरान माननीय सदस्य डॉ. भुवनेश गुप्ता ने सुझाव दिया कि निजी महाविद्यालयों एवं सरकारी महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने के नियमों में समानता होनी चाहिए। माननीय सदस्य डॉ. संजय नीलकंठराव लखेपाटिल ने सुझाव दिया कि सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के स्टेण्डर्ड का एक स्थायी एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाकर गुणवता सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे छात्रों एवं महाविद्यालयों को समान फायदा प्राप्त हो सके। माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल एवं प्रो. कैलाश डागा ने सुझाव दिया कि महाविद्यालयों पर वास्तव में योग्यताधारी प्राचार्य/व्याख्याता उपलब्ध न होने के कारण लगी है अथवा महाविद्यालयों द्वारा जानबूझकर सम्बद्धता शर्तों की पालना न किये जाने के कारण शास्ति आरोपित की गई है, इसकी विस्तृत जांच की जानी चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में लगभग 100 महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित करने से पूरे संभाग में छात्र असंतोष उत्पन्न होने की संभावना है। माननीय सदस्य डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी एवं डॉ. विश्वनाथ ने सुझाव दिया कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस प्रकार का

निर्णय लिया जाना चाहिए कि सम्बद्धता संबंधी नियमों की पालना भी हो तथा विद्यार्थियों को भी अध्ययन में कठिनाई ना हो। माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विचार कर निर्णय लिया गया कि सम्बद्धता प्रकरणों का पुनरावलोकन कर सम्बद्धता शर्तों की पूर्ति नही करने वाले महाविद्यालयों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही हेतु सुझाव/ अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति गठन करने का निर्णय लिया गया -

(1) डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल - संयोजक
(2) डॉ. दिग्विजय सिंह - सदस्य (सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा)
(3) डॉ. भुवनेश गुप्ता - सदस्य (प्राचार्य, सूरतगढ पी.जी.. महाविद्यालय)

उपरोक्त समिति द्वारा अभिलेखों/नियमावली का अवलोकन कर दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 तक अपने सुझाव/अनुशंसा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की जाएगी। महाविद्यालयों पर आरोपित शास्ति के संबंध में उक्त समिति की रिपोर्ट पर प्रबन्ध मण्डल में विचार कर निर्णय लिया जाएगा। तब तक विभिन्न महाविद्यालयों पर आरोपित शास्ति वसूली स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही विभिन्न महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रदान करने पर प्रतिबंध हेतु जारी विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 5497-5506 दिनांक 29-05-2014 के क्रियान्वयन को भी स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या 285 - भवन निर्माण एवं वाहन अग्रिम ऋण के संबंध में :-

विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन निर्माण एवं वाहन क्रय ऋण की सुविधा के संबंध में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.20(4)शिक्षा-4/2004 पार्ट दिनांक 05-06-2014 के द्वारा अंकित आपत्ति के अनुसार ब्याज दरों के संबंध समीक्षा कर पुन: प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या 286 - विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक पद हेतु निर्धारित अर्हताओं के संबंध में :-

सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि परीक्षा नियंत्रक पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित कर चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परन्तु विश्वविद्यालय में पदस्थापित सहायक कुलसचिवों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर परीक्षा नियंत्रक पद हेतु म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के नियमानुसार, जो इस विश्वविद्यालय में लागू है, योग्यता निर्धारण करने का अनुरोध किया है।वर्तमान में विचाराधीन आवेदन आमंत्रित करते समय जारी विज्ञापन में पूर्व की भांति म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के भर्त्ती एवं पदोन्नति नियम में अंकित अर्हता के अतिरिक्त 8 वर्ष के स्नातकोत्तर अध्यापन अनुभव को भी वैकल्पिक योग्यता अंकित किया गया था।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त पूर्व में जारी विज्ञापन को निरस्त करते हुए परीक्षा नियंत्रक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का शुल्क वापस लौटाये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही परीक्षा नियंत्रक पद हेतु म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के भर्त्ती एवं पदोन्नति नियम में अंकित अर्हता अनुसार पुन: विज्ञापन जारी करने का भी निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त पालना रिपोर्ट के शेष बिन्दुओं का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-24/2014/291

विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

वर्ष 2013-14 में विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक एवं परीक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों के सम्बन्ध में तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - वार्षिक प्रतिवेदन

निर्णय :- उक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा व्यापक विचार-विमर्श कर वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदन का संक्षिप्तिकरण कर राज्य सरकार को प्रेषित की जावे।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-24/2014/292

विश्वविद्यालय के वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान, वर्ष 2013-14 के संशोधित अनुमान एवं वार्षिक लेखो के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय का सामान्य तथा स्ववित्तपोषी योजना का बजट अनुमान वर्ष 2014-15, संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2013-14 एवं वार्षिक लेखों का प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न :- बजट विवरणिका 'एवं वार्षिक लेखा।

निर्णय :- माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बजट प्रस्ताव विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक श्री अरविन्द सिंह शेखावत द्वारा प्रस्तुत किया गया। उपस्थित प्रबन्ध मण्डल सदस्यों के समक्ष बजट में विश्वविद्यालय की विभिन्न मदों से प्राप्त आय एवं विभिन्न मदों में किये गए व्यय लेखा-जोखा रखा गया है। प्रबन्ध मण्डल के उपस्थित सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय का सामान्य एवं स्ववित्तपोषी योजना का बजट अनुमान वर्ष 2014-15, संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2013-14 का निम्नानुसार संशोधन के साथ सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया -

(1) Page No. 164 S.No. 14 पर Recovery of Vehicle Rent के स्थान पर Recovery of Vehicle Charges किया जावे।

(2) Page No. 167 S.No. 1 पर Library Books and Journals के बजट अनुमान 2014-15 में 11.50 लाख के स्थान पर 17.00 लाख किया जावे।

(3) Page No. 167 S.No. 11 नवीन मद जोडते हुए Langugae Lab के लिए बजट अनुमान 2014-15 में 10.00 लाख का प्रावधान किया जावे।

(4) समस्त विभागों Corpus Fund सृजन से पूर्व Fund के उपयोग के सम्बंध में समस्त विभागाध्यक्ष अन्य विश्वविद्यालय में प्रचलित मापदण्ड एवं दिशा-निर्देश उपलब्ध करावें।

विश्वविद्यालय के आय-व्यय अनुमान 2014-15 के प्रस्तावों में न्यू आइटम्स के अन्तर्गत छात्रों के लिए एक मिनी बस क्रय करने, नये भवनों तथा ऑडिटोरियम के लिए फर्नीचर, दोनो ऑडिटोरियम तथा प्रयोगशाला के लिए आवश्यकतानुसार वातानुकूलित यंत्र क्रय करने आदि एवं निर्माण कार्यो पर सहमति प्रदान करते हुए बजट प्रस्तावों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विधि महाविद्यालय की आय-व्यय का लेखा-जोखा विश्वविद्यालय की स्वयं के स्त्रोत की आय-व्यय मदों में दर्शाया जाता रहा है। विधि महाविद्यालय की पर्याप्त आय को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 से विधि महाविद्यालय के आय-व्यय का लेखा संधारण स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बजट प्रस्तावों के साथ विश्वविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित योजना के अंकेक्षित वार्षिक लेखों वर्ष 2012-13 का भी प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान बजट के अतिरिक्त प्रस्तुत अन्य दो प्रस्तावों के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

(1) उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों को देय पारिश्रमिक एवं वीक्षकों के मानदेय के पुनर्निधारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया गया –

(1) प्रो. कैलाश डागा – संयोजक
(2) प्रो. एम.एम. सक्सेना – सदस्य
(3) प्रो. एस.के. अग्रवाल – सदस्य

(2) विश्वविद्यालय के विभागों में प्रवेश शुल्क का पुनर्निधारण हेतु समस्त विभागाध्यक्षों की समिति गठित की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–24/2014/293

विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसियट प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समितियों की अनुशंसा के अनुमोदन का प्रस्ताव

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.14(13)शिक्षा–4/07 दिनांक 11–12–2007 एवं पत्र क्रमांक प. 14(13)शिक्षा–4/07 दिनांक 23–03–2010 के द्वारा स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों को सीधी भर्त्ती से भरने हेतु निम्नानुसार विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए :–

क्र.स.	विभाग का नाम	आचार्य पद	सह–आचार्य पद	सहायक आचार्य पद	विज्ञापन संख्या
1	कम्प्यूटर विज्ञान	01	02	0 2	01/2013 (संस्था) दिनांक 30–04–2013 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 27–12–2013
2	सूक्ष्म जैविकी	01	02		01/2013 (संस्था) दिनांक 30–04–2013 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 27–12–2013
3	अंग्रेजी	.	02	.	02/2011 (संस्था) दिनांक 25–08–2011 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 08–08–2012
4	इतिहास	.	01	.	01/2013 (संस्था) दिनांक 30–04–2013 संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 27–12–2013

उपरोक्तानुसार जारी विज्ञप्तियों के संदर्भ में निम्नानुसार आवेदन पत्र प्राप्त हुए :-

क्र.स.	पद का नाम	कुल प्राप्त आवेदन पत्र	पात्र अभ्यर्थी	अपात्र अभ्यर्थी
कम्प्यूटर विज्ञान विभाग				
1	आचार्य	7	04	3
2	सह-आचार्य	14	04	10
3	सहायक आचार्य	81	34	47
सूक्ष्म जैविकी विभाग				
1	आचार्य	5	04	1
2	सह-आचार्य	25	14	11
अंग्रेजी विभाग				
1	सह-आचार्य	13	04	9
इतिहास विभाग				
1	सह-आचार्य	10	03	7

उपरोक्त पात्र अभ्यर्थियों को दिनांक 07-09 मार्च, 2014 को मालवीय राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान, जयपुर में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया तथा उपस्थित अभ्यर्थियों का संबंधित चयन समितियों द्वारा साक्षात्कार लिया जाकर सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत अनुशंसा (सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान के अतिरिक्त) प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान के पद हेतु अभ्यर्थी श्री आशीष पुरोहित द्वारा निर्धारित योग्यता पूर्ण न करने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा श्री पुरोहित का आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया तथा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित नही किया गया। श्री आशीष कुमार पुरोहित द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में वाद संख्या एस.बी.सिविल रिट पेटिशन संख्या 1772/2014 प्रस्तुत किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अंतरिम आदेश दिनांक 07-03-2014 पारित किया कि "Respondent University is directed to allow the petitioner in the interview provisionally for the post of Assistant Professor in Computer Science, but his result shall not be declared without permission of this court" सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान पद हेतु साक्षात्कार दिनांक 07-03-2014 को पूर्वान्ह में सम्पन्न हो चुके थे तथा अभ्यर्थी द्वारा आदेश की प्रति दिनांक 07-03-2014 का सांय 4:30 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय, बीकानेर में उपलब्ध कराई गई। इस कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना तत्समय संभव नही हो पाई।

तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के अन्य आदेश दिनांक 06-05-2014 की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 19-05-2014 को श्री आशीष पुरोहित का सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान के पद हेतु साक्षात्कार ले लिया गया है। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07-03-2014 एवं दिनांक 18-04-2014 की पालना में सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान पद का परिणाम अभी घोषित नहीं किया जाना है। इसलिए सहायक आचार्य (कम्प्यूटर विज्ञान) पद हेतु प्रस्तुत चयन समिति की अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत नही की जा रही है।

निर्णय :- माननीय कुलपति महोदया द्वारा विभिन्न शैक्षिक पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित चयन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत करने से पूर्व ही माननीय सदस्य प्रो. कैलाश डागा ने आपत्ति प्रस्तुत की कि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक पदों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित ए.पी.आई. स्कोर पूर्ण नही करने वाले अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया तथा कुछ पदों पर विज्ञापित पदों से तीन गुणा अभ्यर्थी नही होने पर भी साक्षात्कार आयोजित किया जाना अनुचित था। प्रो. डागा ने कहा कि चयन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा पर विचार-विमर्श नही किया जावे एवं समस्त चयन प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः आवेदन आमंत्रित किये जावे। माननीय सदस्य डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी (विधायक) ने कहा कि शिक्षकों के चयन संबंधी कार्यवाही के दौरान प्रबन्ध मण्डल का सदस्य न होने के कारण चयन प्रक्रिया, चयन समिति सदस्यों आदि की जानकारी नही होने एवं उक्त प्रक्रिया में भागीदार न होने के कारण हम उक्त चयन समितियों की अनुशंसा का अनुमोदन नही कर सकते। उक्त सुझाव से माननीय सदस्य डॉ. विश्वनाथ (विधायक) द्वारा सहमति प्रदान की गई।

माननीय कुलपति महोदया ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ए.पी. आई. स्कोर के सम्बंध में जारी दिशा-निर्देशानुसार "the self-assessment score will be based on verifiable criteria and will be finalized by the screening / selection committee." माननीय कुलपति महोदया ने आश्वस्त किया कि समस्त चयन समितियों द्वारा उक्त प्रावधान का पूर्णतः पालन करते हुए अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। माननीय कुलपति महोदया ने यह भी उल्लेख किया कि शिक्षकों के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने से लेकर साक्षात्कार तक की कार्यवाही में नियमों का पूर्ण पालन किया गया है। साथ ही अध्यक्ष महोदया ने सदन को बताया कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नही होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 बी में विश्वविद्यालय के पंजीयन की कार्यवाही भी बाधित हो सकती है।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त शिक्षकों के रिक्त पदों हेतु पर नियुक्ति हेतु की गई सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगांसिविबी/बोम-24/2014/294

विश्वविद्यालय कार्य हेतु नये वाहन क्रय के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट

समय-समय पर परीक्षा नियंत्रक महोदय द्वारा परीक्षात्मक कार्य को देखते हुए गाड़ी की मांग की जा रही है। समयबद्ध परीक्षा सम्बन्धी कार्य होने के कारण आवश्यकता होने पर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा गाड़ी देरी से उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे कार्य के सुचारू सम्पादन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः माननीय कुलपति द्वारा परीक्षा नियंत्रक को किराये के वाहन की जगह विश्वविद्यालय का वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। अतः कुलपति महोदया द्वारा वर्तमान मे उपयोग में ली जा रही कार कुलसचिव को आवंटन करते हुए, कुलसचिव के वाहन को परीक्षा नियंत्रक को आवंटन करने के निर्देश दिये गये तथा स्वयं के कार्य की प्रकृति एवं दूरस्थ स्थानों के दौरों को देखते हुए नई इनोवा गाड़ी DGS&D की अनुमोदित दरों पर क्रय करने के निर्देश दिये गये। तदनुसार माननीय कुलपति महोदया के निर्देशों की पालना में वर्ष 2013-14 में इस मद में उपलब्ध राशि में से M/s Toyota Kirloskar Motor Pvt. Ltd., UB City, 10th Floor, "Canberra Block", #24, Vittal Mallya Road, Bangalore. Pin-560001 को विश्वविद्यालय के पत्रांक 141 दिनांक 07.03.2014 द्वारा उक्त नई इनोवा गाड़ी का आपूर्ति आदेश जारी किया जा चुका है।

अतः प्रबन्ध मण्डल के समक्ष उक्त नई कार क्रय के आपूर्ति आदेश ध्यानार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के पत्रांक 141 दिनांक 07.03.2014 द्वारा नई इनोवा गाड़ी क्रय करने हेतु जारी आपूर्ति आदेश का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-24/2014/295

विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के प्रभारियों को इन्टरनेट की सुविधा हेतु नेट डाटा कार्ड मासिक आधार पर भुगतान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय के शिक्षकों को विभागों में आवंटित कार्यों के अतिरिक्त विभिन्न समितियों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है :-

1. प्रभारी, एन.एस.एस., महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
2. प्रभारी, एन.सी.सी., महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. प्रभारी, एन्टी रैगिंग स्क्वार्ड, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
4. प्रभारी, अतिथि गृह, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
5. प्रभारी, उडनदस्ता, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. प्रभारी, एस.टी./एस.सी.प्रकोष्ट, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. प्रभारी, महिला प्रकोष्ठ, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
9. प्रभारी, अकादमिक भवन, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
10. प्रभारी, एल्युमिनी एसोसियशन, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
11. कुलानुशासक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।

उपरोक्त आवंटित कार्यों में से अधिकतम कार्य छात्र/छात्राओं से संबंधित होने के कारण कार्य त्वरित गति से सम्पादित करना आवश्यक प्रतीत होता है। वर्तमान समय में उपरोक्त प्रभारियों को इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध नही है जिससे आवंटित कार्यों को समय पर सम्पादित करने में अनेक परेशानियों को सामना करना पडता है।

अत: उपरोक्त समिति प्रभारियों को इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रति माह 999/- की दर से नेट डाटा कार्ड का पुनर्भरण करने की स्वीकृति प्रदान की जानी प्रस्तावित है।

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों एवं विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के प्रभारी शिक्षकों को अकादमिक भवन में इन्टरनेट सेवा हेतु वर्तमान में प्रदत्त किये जा रहे एक नेट डाटा कार्ड की सुविधा निरन्तर रखते हुए प्रति माह 999/- की दर से पुनर्भरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(विश्राम मीणा)
कुलसचिव